

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नया रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 5 / 12 / 2014

क्रमांक एफ 1-14/2014/स्था/चार :: राज्य शासन द्वारा, एतद् द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका के नियम-5 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है।

(सी.जे.खत्री) 4/12/14

संयुक्त सचिव

फोन-0771-2510734

नया रायपुर, दिनांक 5 / 12 / 2014

पृठां. क्रमांक एफ 1-14/2014/स्था/चार,  
प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
7. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/दुर्ग
9. कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, रायपुर/दुर्ग
10. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, बजट-1, मंत्रालय, नया रायपुर,
11. नियंत्रक, शासकीय मुद्रलेखन सामग्री राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
- ✓ 12. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट [www.finance.cg.gov.in](http://www.finance.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सी.जे.खत्री) 4/12/14

संयुक्त सचिव,

फोन-0771-2510734